

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria elimination programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)-2/39/06(Training of Drug distributor in district

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) ज़िलो में दवा वितरक का प्रशिक्षण:- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में दवा वितरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं एक प्रकार से दवा वितरक ही इस कार्यक्रम की सफलता या विफलता के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण के क्रम में इनका भी प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्वा० केन्द्र स्तर पर इनको एक दिन का प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षण में इन्हें विभिन्न आयुवर्ग के लोगों में दवा की मात्रा का वितरण, एक दवा वितरक कितने घरों को आच्छादित करेंगे। दवा वितरण रजिस्टर का रख-रखाव जैसे पहलुओं की जानकारी इन्हें प्रशिक्षण के क्रम में दिया जाना है। आम जन को दवा वितरण का महत्व समझाना और इस संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रशिक्षण दिया जाना है।

ईकाई राशि (रू०/लाख में)

प्रति प्रशिक्षण कर्ता (पी०एच०सी०/एच०क्यू०/एफ०सी०यू०) को 92 रूपये की दर से देय होगा।

प्रति प्रा०स्वा०केन्द्र दवा वितरकों की संख्या 601.86 होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क)114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:- 9835012758/9431251673

1903

Amie

A

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria elimination programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA, Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
-2/39/07(Honararium of drug distributer).

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) जिलों में दवा वितरण का मान देय :- दवा वितरण कर्ता को मानदेय की राशि 92 रूपये की दर से एक दिन के लिये दिया जाना है। इनका प्रशिक्षण एक दिन के लिये होना है। जिसके लिये इन्हें 92 रूपये की दर मानदेय का भुगतान किया जाना है एक दवा वितरण कर्ता का एक दिन में कम से कम 50/100 घरों को आछादित करना है। दवा खाने के क्रम में अगर किसी व्यक्ति में कोई प्रतिक्रिया होती है तो इसकी सूचना अपने संबंधित दवा पर्यवेक्षक को तत्काल सूचित करना है। दवा वितरण कर्ता उसी पंचायत या आस पास का होना चाहिए।

ईकाई राशि (रू० / लाख में)

प्रति दवा वितरण कर्ता (पी०एच०सी०/एच०क्यू०/एफ०सी०यू०) को 92 रूपये की दर से देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

1903

सुभा

A

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria elimination programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -2/39/08(Training of supervisor).

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) दवा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण :- चिकित्सा पदाधिकारियों के प्रा० स्वा० केंद्र स्तरीय प्रशिक्षण के उपरान्त उनके द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाना है। ये प्रशिक्षण प्रा० स्वा० केंद्र /उप-केंद्र स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर दिया जाना है। ऐसे प्रशिक्षित पारा मेडिकल स्टाफ ही मुख्य रूप से दवा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इन्हें प्रशिक्षण के लिए एक दिन के लिये 113 रुपये और मानदेय राशि भी एक दिन के लिये 113 रू० दिया जाना है। दवा पर्यवेक्षकों को प्रा० स्वा० केंद्र के संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से सम्पर्क में रहना है। साथ ही 10 दवा वितरण कार्यकर्ताओं के कार्य के पर्यवेक्षण की उनकी जिम्मेवारी होगी।

ईकाई राशि (रू० / लाख में)

प्रति प्रशिक्षण पर्यवेक्षक (पी०एच०सी०/एच०क्यू०/एफ०सी०यू०) को 113 रुपये की दर से देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क)114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

(१०३)

AMZ

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria elimination programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कांड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)
-2/39/09(Honararaium of supervisor).

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) पर्यवेक्षकों का मानदेय :-
एम०डी०ए० कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित निरीक्षण का योगदान कार्यक्रम की सफलता के लिये अति महत्वपूर्ण है। इनका कार्य जहाँ एक ओर दवा वितरण कार्य कर्ता के कार्य पर नजर रखना, उन्हें मार्गदर्शन देना जरूरी होगा। संबंधित क्षेत्र के चि० पदाधिकारी सतत सम्पर्क में रहना जरूरी होगा। ताकि दवा से प्रतिक्रिया वाले मामले का समुचित उपचार समय पर संभव हो सके। दवा वितरण रजिस्टर का रख-रखाव और वितरण की समाप्ति पर दवा वितरण रजिस्टर में प्रविष्ट के आधार पर अपने क्षेत्र का दवा वितरण संबंधि प्रतिवेदन संकलित करने का दायित्व भी इन्हीं का होगा। ये अपना प्रतिवेदन अपने संबंधित चि० पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

ईकाई राशि (रू० / लाख में)

प्रति पर्यवेक्षक मानदेय (सी०/एच०क्यू०/एफ०सी०यू०) को 113 रूपये की दर से देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

(१०/३)

→ankie
A

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :-2/39/08(District and Co-ordination meeting two meeting in each district).

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) जिला समन्वय समिति की बैठक :- फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बहुस्तरीय सामाजिक और प्रशासनिक सहयोग अपेक्षित रहेगा। इसलिये मार्ग दर्शन में प्रावधान किया गया है। कि इस कार्य के लिये जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे। और सदस्य सचिव अपर मुख्य चि० पदाधिकारी /जिला फाईलेरिया पदा० होंगे। और इसमें जिला के सिविल सर्जन, नगरपालिका के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य रहेंगे। स्थानीय आइ० एम० ए०/एन० जी० ओ० / व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। कम से कम इस समिति की दो बैठकें होंगी। एक एम० डी० ए० कार्यक्रम शुरू करने के 90 दिन पहले और दूसरी बैठक एम० डी० ए० कार्य समाप्ति के कुछ दिनों बाद बुलायी जाएगी। इस बैठक में कार्यक्रम के उद्देश्य और अपेक्षित सहयोग पर प्रकाश डाला जाएगा। सामान्य प्रशासन की ओर से प्रखण्ड स्तर तक के अधिकारियों /कर्मचारियों को अपेक्षित सहयोग करने का जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा। साथ ही पंचायत संस्थाओं के प्रमुख द्वारा पंचायत स्तर पर अपेक्षित सहयोग के लिये अनुरोध किया जाएगा। एम० डी० ए० कार्य की समाप्ति के पश्चात प्रा० स्वा० केन्द्र / नगरपालिका स्तरीय प्रतिवेदनों को जिला मुख्यालय में एकीकृत करने के बाद समन्वय समिति में समीक्षा की जाएगी। जिसमें दवा वितरण के आच्छादन स्तर की समीक्षा और क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को भी चिन्हित किया जाएगा। ताकि अगली बार इन समस्याओं के निदान के साथ अगला कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा सके।

ईकाई राशि (रू०/लाख में)

जिला समन्वय समिति की बैठक मद में 15000 रूपये की दर से देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन


(क)114(ए०) 27.03.09


(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673





वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

:-2/39/09(IEC/For district headquater)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) :- IEC(district headquater) :- एम० डी० ए० कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि फाईलेरिया दिवस का प्रचार-प्रसार करना और समाज के अन्तिम स्तर तक इस कार्यक्रम की जानकारी देना आवश्यक होगा। इसके लिये स्थानीय मिडिया, जिला स्तरीय स्वा० शिक्षा पदाधिकारी /जिला जन सम्पर्क विभाग द्वारा सहयोग आपेक्षित होगा। इसके लिये समुचित बैनर, पोस्टर, हैडवील आदि का मुहैया करना आवश्यक होगा। जिसके लिये समुचित राशि प्रत्येक जिला के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। जिला स्तर से ही प्रचार प्रसार संबंधित सामग्रियाँ प्रा० स्वा० केन्द्र स्तर तक मुहैया की जाएगी। और उस स्तर पर प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। ये कार्यक्रम एम० डी० ए० के कम से कम 45 दिन पूर्व इस कार्यक्रम की व्यवस्था पूरी कर ली जानी चाहिए। भारत सरकार से कतिपय नमूना सामग्रियाँ मुहैया की जाएगी। जिनका स्थानीय भाषा में अनुवाद जरूरी होगा।

ईकाई राशि (रू०/ लाख में)

प्रति जिला 3337.15 रूपये की दर से प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईकाई के अनुसार देय होगा- वास्तविक लागत जिलों के अनुसार दर्शाया गया।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति / सिविल सर्जन

(क)114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० और०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

(903)

amfie

A

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :-2/39/10(Training for MO)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) :- चिकित्सा पदाधिकारी का प्रशिक्षण :- इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम त्रिस्तरीय होगा। कम से कम जिला स्तर से मनोनीत प्रत्येक जिला से दो चिकित्सा पदाधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी इस प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे राज्य के लिये अपने स्तर से करेंगे। ऐसे प्रशिक्षित चि० पदा० जिला स्तर पर प्रा० स्वा० केंद्र प्रभारी चि० पदाधिकारी को प्रशिक्षित करेंगे। जो अपने प्रा० स्वा० केंद्र /अतिरिक्त स्वा० केंद्र में पदस्थापित चि० पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह के प्रशिक्षण से एम० डी० ए० कार्यक्रम के सभी पहलुओं की जानकारी संबंधित चि० पदाधिकारियों को प्राप्त हो जाएगी। जिससे एम० डी० ए० कार्यक्रम का सफल सम्पादन संभव हो सकेगा।

ईकाई राशि (रू०/ लाख में)

प्रति जिला 5057.33 रूपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क)114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

Signature

Signature

(903)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - **Filaria Elimination Programme.**

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) - **MDA. Activity 2009-10.**

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :- **2/39/11(Training for Para medical Staff)**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) :- पारा मेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण :- चिकित्सा पदाधिकारी के नीचे पारा मेडिकल स्टाफ ही दवा वितरण कार्यकर्ता का मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण करेंगे। अतः इनका प्रशिक्षित होना उतना ही आवश्यक है, जितना चि० पदाधिकारियों का एम० डी० ए० कार्यक्रम के सफल सम्पादन में ये महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। इनके मानदेय के बारे में पूर्व के कंडिका में दर्शा दिया गया है। इसके अलावे यात्रा भत्ता के लिये आवंटित राशि जो प्रत्येक प्रा० स्वा० केन्द्र के लिये है। उससे देय होगा।

ईकाई राशि (रू०/ लाख में)

प्रति पी० एच० सी० 4323.39 रूपये आवंटित किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से 92 रूपये प्रति पारा मेडिकल स्टाफ की दर से देय होगा जो कि आवंटित राशि के अन्तर्गत ही वितरित किया जा सकता है।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

amie

A

(903)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कांड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :-2/39/12 (Line listing)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम), :- लाईन लिस्टिंग :- एम0 डी0 ए0 कार्यक्रम शुरू करने के पहले संबंधित क्षेत्र में फाइलेरिया रोग की स्थिति क्या है। इसके लिये फाइलेरिया रोगियों की लाईन लिस्टिंग जरूरी होगी। प्रा0 स्वा0 केन्द्र /उप केन्द्र स्टाफ को निर्देश दिया जाना है। कि निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित आवधि तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या के बीच चिन्हित करना है। रोगों से ग्रस्त पैर, हाथ, अंडकोष, छाती एवं अन्य में रोगीवार सूजन (Lymfoedema) का आंकड़ा एकत्रित किया जाना है। ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त ये प्रतिवेदन उप केन्द्र /प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर संकलित कर जिला सिविल सर्जन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। जहाँ इसे एकीकृत कर राज्य फाइलेरिया मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है। लाइन लिस्टिंग से यह पता लगेगा की क्षेत्र/समुदाय में इस रोग की स्थिति क्या है।

ईकाई राशि (रू०/ लाख में)

प्रति पी0 एच0 सी0 4323.39 रूपये आवंटित किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से 92 रूपये प्रति लाईन लिस्टिंग की दर से देय होगा जो कि आवंटित राशि के अन्तर्गत ही वितरित किया जा सकता है।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा0 समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए0) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ0 आर0एन0 पाण्डेय/डा0 जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

Amica

A

(क)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :-2/39/13(Night Blood Survey)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) :- रात्रि रक्त पट संग्रह :- अभी जो फाइलेरिया नियंत्रण इकाईयाँ है उनको यह दायित्व दिया जाएगा कर्षे वे निर्धारित प्रा० स्वा० केन्द्रों में जाकर नमुना आबादी में रात्रि रक्त पट संग्रह का कार्य करेंगे। रक्त पट संग्रह कर उसे इकाई प्रयोगशाला में आवश्यक विधि द्वारा स्टेनिंग, फिक्सींग, की प्रक्रिया पूरी कर जाँच कर करेंगे और माइक्रो फाइलेरिया के धनात्मक रक्त पटों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय में प्रेषण हेतु उपस्थापित करेंगे।

ईकाई राशि (रू० / लाख में)

प्रति पी० एच० सी० 1455.33 रूपये आवंटित किये गये है इसमें मानदेय कार्टन, निडिल, स्लाइड, स्प्रीट, स्लाइड बॉक्स एवं स्टेन मद में देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए०) 27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

ambie

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - Filaria Elimination Programme.

बजट/ एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) -MDA. Activity 2009-10.

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) :-2/39/14(POL)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) :- ईंधन (पी० ओ० एल०) :- एम० डी० ए० कार्यक्रम का जिला स्तर पर जो पर्यवेक्षण किया जाएगा। उसके लिए ध्रमण हेतु वाहन की सुविधा का मुहैया कराना आवश्यक होगा। इस मद में जिला से लेकर प्रा० स्वा० केन्द्र के पदाधिकारियों के लिए वाहन की सुविधा प्रदान करनी होगी। इसके लिए राशि का उपबंध कार्यक्रम किया गया है।

ईकाई राशि (रू०/ लाख में)

प्रति प्रा० स्वा० केन्द्र० 2747.70 रूपये आवंटित किये गये हैं। इस राशि का उपयोग ईंधन मद में होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन:- जिला स्वा० समिति /सिविल सर्जन

(क) 114(ए०)

27.03.09

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:-डॉ० आर०एन० पाण्डेय/डा० जगदीश सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर:-9835012758/9431251673

ambie

[Signature]

[Handwritten mark]